

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी- स्वाति गुप्ता, R.A.S

वाद संख्या 016/2025

अर्न्तगत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम



श्री गुरुमहेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी ढींगावाली राठान तहसील
जिला श्रीगंगानगर।
श्री गुरतेज सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी ढींगावाली राठान तहसील व
जिला श्रीगंगानगर।

व न अ म

....वादीगण

- कुलदीप कौर पुत्री करनैल सिंह पत्नी श्री बख्तावर सिंह जाति जटसिख निवासी चक
महारजका तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
- छिन्दर कौर पुत्री बोगा सिंह पत्नी श्री जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी बान्डा
कॉलोनी 2 ए पी डी तहसील व जिला अनूपगढ।
- नसीब कौर उर्फ मनजीत कौर पुत्री गुरचरण सिंह पत्नी श्री सुवा सिंह जाति जटसिख
निवासी बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
- बलजिन्द्र सिंह पुत्र श्री भोला सिंह जाति जटसिख निवासी वुर्ज हनुमानगढ जिला
फाजिल्का (पंजाब)
- मनदीप कौर पुत्री श्री बोगा सिंह पत्नी श्री जलन्धर सिंह जाति जटसिख निवासी 30 ए पी
डी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
- मनदीप कौर पुत्री भोला सिंह पत्नी श्री रघुवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 9 टी के
डब्ल्यु, खिचडावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
- सुखदीप कौर पुत्री श्री बोगा सिंह पत्नी श्री सुखमन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 30 ए
पी डी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
- संदीप कौर पुत्री श्री भोला सिंह पत्नी श्री कलबीर सिंह जाति जटसिख निवासी 9 टी के
डब्ल्यु, खिचडावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
- स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर प्रतिवादीगण

उपस्थित- श्री संजय जनवेजा

(अधिवक्ता वादी)

श्री रोबिन गुम्बर

(प्रति. संख्या 1 ता 8)

पैरोकार राज

(प्रतिवादी-9)

दिनांक 12 मार्च, 2025

-निर्णय-

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादीगण के दादा श्री करनैल सिंह के नाम से वाके चक
एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 5 की 6.325 हैक्टेयर नहरी मय कृषि
मि दर्ज कागजात माल थी। जिसका बंटवारा श्री करनैल सिंह ने अपने जीवन काल में करके
वादीगण को उनके हिस्सा की 3.1625 हैक्टेयर भूमि दे दी थी, शेष 3.1625 है0 भूमि गुरजीत
सिंह, जसविंदर कौर, मलकीत कौर व बलजिन्द्र सिंह को दी हुई है। वादीगण श्री करनैल सिंह
के जीवन काल से ही लगातार घरू बंटवारा अनुसार काबिज चले आ रहें हैं। श्री करनैल सिंह
का देहान्त हो चुका है। श्री करनैल सिंह के देहान्त के पश्चात उक्त भूमि वर्तमान जमाबन्दी में
वाके चक 7 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 10/92 के मुरब्बा नम्बर 5
की कुल 6.325 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 के नाम से 1/28
हिस्सा कृषि भूमि, वादी संख्या 2 के नाम से 1/28 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से 1/28
हिस्सा तथा वादीगण व प्रतिवादिद्या संख्या 3 की माता श्रीमती बलदेव कौर के नाम से 1/28
हिस्सा कृषि भूमि, प्रतिवादी संख्या 1 कुलदीप कौर के नाम से 1/7 हिस्सा कृषि भूमि, प्रतिवादी संख्या 2
छिन्दर कौर के नाम से 1/21 हिस्सा कृषि भूमि, प्रतिवादी संख्या 4 बलजिन्द्र सिंह के नाम से
1/35 हिस्सा कृषि भूमि, प्रतिवादी संख्या 5 मनदीप कौर के नाम से 1/21 हिस्सा कृषि भूमि,
प्रतिवादी संख्या 6 मनदीप कौर के नाम से 1/35 हिस्सा कृषि भूमि, प्रतिवादी संख्या 7
कौर के नाम से 1/21 हिस्सा कृषि भूमि, प्रतिवादी संख्या 8 संदीप कौर के नाम से 1/35
हिस्सा कृषि भूमि, संयुक्त खाता में दर्ज हो गई। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। श्रीमती
बलदेव कौर पत्नी श्री गुरचरण सिंह का देहान्त हो चुका है, जिनके विधिक वारिसान वादीगण एवं
प्रतिवादिद्या संख्या 3 हैं। अन्य कोई वारिस नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण से कहा हुआ था
कि जब भी तुम चाहोगे सहमति से भूमि घरू बंटवारा अनुसार तुम्हारे नाम से दर्ज करवा देंगे।
इसी विश्वास पर वादीगण ने बड़ी मेहनत करके उक्त रकबा को काश्त योग्य बनाया है और
उक्त भूमिमें काफी धन खर्च करके सुधार कार्य करवाये है। वादीगण अपने हिस्सा की भूमि में

श्री गुरुमहेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी ढींगावाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
श्री गुरतेज सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी ढींगावाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अधिक सुधार कार्य करवाना चाहते हैं, मगर राजस्व रिकार्ड में भूमि वादीगण के नाम से दर्ज होने के कारण वह ना तो ज्यादा सुधार कार्य करवा पा रहे हैं तथा मामला लगान अदायगी बारी के समय आदि को लेकर विवाद बना रहता है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त वादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करवाने के लिए कई बार आग्रह किया है, पहले तो वादीगण टाल मटोल करते रहें, दिनांक 02.02.2025 को उन्होंने सहमति से खाता विभाजन से साफ इन्कार कर दिया, यही वाद कारण है। अन्त में वादी द्वारा निवेदन किया कि वाके एच एच के खाता संख्या 10/92 के मुर्ब्बा नम्बर 5 की कुल 6.325 हैक्टेयर नहरी मय भूमि में से कुलदीप कौर पुत्री करनेल सिंह के नाम से दर्ज 1/7 हिस्सा, छिन्दर कौर पुत्री श्री गुरचरण सिंह के नाम से दर्ज 1/21 हिस्सा, नसीब कौर पुत्री श्री गुरचरण सिंह के नाम से दर्ज 1/35 हिस्सा में से बलजिन्दर सिंह पुत्र श्री भोला सिंह के नाम से दर्ज 1/28 हिस्सा, मनदीप कौर पुत्री श्री गुरचरण सिंह के नाम से दर्ज 1/28 हिस्सा, बलदेव कौर पत्नी श्री गुरचरण सिंह के नाम से दर्ज 1/21 हिस्सा कृषि भूमि, मनदीप कौर पुत्री श्री भोला सिंह के नाम से दर्ज 1/21 हिस्सा कृषि भूमि, मनदीप कौर पुत्री श्री भोला सिंह के नाम से दर्ज 1/35 हिस्सा, सुखदीप कौर पुत्री बोगा सिंह के नाम से दर्ज 1/21 हिस्सा, संदीप कौर पुत्री श्री भोला सिंह के नाम से दर्ज 1/35 हिस्सा कुल 2.710 हैक्टेयर भूमि का वादीगण सुखमहेन्द्र सिंह व गुरतेज सिंह पि० श्री गुरचरण सिंह को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त रकबा वादीगण के नाम से दर्ज किए जाने का आदेश प्रदान किया जावे। वाद पत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत 2070 से 2073 चक 7 एच एच तहसील श्रीगंगानगर संलग्न कर प्रस्तुत की गई। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 9 राज्य पक्ष की ओर से राज्यप्रतिनिधि उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 द्वारा स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा दि 03.03.2025 प्रस्तुत किया। वादी की शिनाख्त अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा के द्वारा तथा प्रतिवादीगण की शिनाख्त अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर के द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त वादी एवं प्रतिवादी के पहचान के दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत की गई। अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया। प्रति सं० 9 राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई।

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 03.03.2025, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत बहस का मनन किया गया। ऐसी स्थिति में, वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत अभिलेख जमाबन्दी सम्बत 2070 से 2073 चक 7 एच एच तहसील श्रीगंगानगर एवम् पारिवारिक बंटवारा/राजीनामा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का वाद पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 03.03.2025 के अनुसार वाके चक 7 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 10/92 के मुर्ब्बा नम्बर 5 की कुल 6.325 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से कुलदीप कौर पुत्री करनेल सिंह के नाम से दर्ज 1/7 हिस्सा, छिन्दर कौर पुत्री बोगा सिंह के नाम से दर्ज 1/21 हिस्सा, नसीब कौर पुत्री श्री गुरचरण सिंह के नाम से दर्ज 1/28 हिस्सा, बलजिन्दर सिंह पुत्र श्री भोला सिंह के नाम से दर्ज 1/35 हिस्सा में से 0.090 हैक्टेयर, बलदेव कौर पत्नी श्री गुरचरण सिंह के नाम से दर्ज 1/28 हिस्सा, मनदीप कौर पुत्री श्री बोगा सिंह के नाम से दर्ज 1/21 हिस्सा कृषि भूमि, मनदीप कौर पुत्री श्री भोला सिंह के नाम से 1/35 हिस्सा, सुखदीप कौर पुत्री बोगा सिंह के नाम से दर्ज 1/21 हिस्सा, संदीप कौर पुत्री भोला सिंह के नाम से दर्ज 1/35 हिस्सा कुल 2.710 हैक्टेयर भूमि का वादीगण सुखमहेन्द्र सिंह व गुरतेज सिंह पि० श्री गुरचरण सिंह को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि के राजस्व अभिलेख में उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी तथा उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग-अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी। जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेंगे। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 12 मार्च, 2025 को जारी किया गया।

स्वाति गुप्ता
 सहायक कर्माधिकारी एवं
 सहायक कर्माधिकारी (स्वायत्त)
 (राजस्व विभाग) श्रीगंगानगर

डिक्री

(Order 20 Rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी- स्वाति गुप्ता R.A.S.

1. सुखमहेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी ढींगावाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
गुरतेज सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी ढींगावाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

ब न अ म

....वादीगण

1. कुलदीप कौर पुत्री करनैल सिंह पत्नी श्री बख्तावर सिंह जाति जटसिख निवासी चक मंहारजका तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. छिन्दर कौर पुत्री बोगा सिंह पत्नी श्री जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी बान्डा कॉलोनी 2 ए पी डी तहसील व जिला अनूपगढ।
3. नसीब कौर उर्फ मनजीत कौर पुत्री गुरचरण सिंह पत्नी श्री सुबा सिंह जाति जटसिख निवासी बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. बलजिन्द्र सिंह पुत्र श्री भोला सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज हनुमानगढ जिला फाजिल्का (पंजाब)
5. मनदीप कौर पुत्री श्री बोगा सिंह पत्नी श्री जलन्धर सिंह जाति जटसिख निवासी 30 ए पी डी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
6. मनदीप कौर पुत्री भोला सिंह पत्नी श्री रघुवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 9 टी के डब्ल्यु, खिचडावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
7. सुखदीप कौर पुत्री श्री बोगा सिंह पत्नी श्री सुखमन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 30 ए पी डी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
8. संदीप कौर पुत्री श्री भोला सिंह पत्नी श्री कलबीर सिंह जाति जटसिख निवासी 9 टी के डब्ल्यु, खिचडावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
9. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

उपस्थित-

श्री संजय जनवेजा

(अधिवक्ता वादी)

श्री रोबिन गुम्बर

(प्रति. संख्या 1 ता 8)

पैरोकार राज

(प्रतिवादी-9)

..... प्रतिवादीगण

दिनांक 12 मार्च, 2025

वाद संख्या 016/2025

अर्न्तगत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टट्रैक श्रीगंगानगर द्वारा अधिवक्ता वादी श्री संजय जनवेजा, अधि.प्रति.सं 1 ता 8 श्री रोबिन गुम्बर व पैरोकार राज की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि-

वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 03.03.2025 के अनुसार वाके चक 7 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 10/92 के मुरब्बा नम्बर 5 की कुल 6.325 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से कुलदीप कौर पुत्री करनैल सिंह के नाम से दर्ज 1/7 हिस्सा, छिन्दर कौर पुत्री बोगा सिंह के नाम से दर्ज 1/21 हिस्सा, नसीब कौर पुत्री गुरचरण सिंह के नाम से दर्ज 1/28 हिस्सा, बलजिन्द्र सिंह पुत्र श्री भोला सिंह के नाम से दर्ज 1/35 हिस्सा में से 0.090 हैक्टेयर, बलदेव कौर पत्नी श्री गुरचरण सिंह के नाम से दर्ज 1/28 हिस्सा, मनदीप कौर पुत्री श्री बोगा सिंह के नाम से दर्ज 1/21 हिस्सा कृषि भूमि, मनदीप कौर पुत्री श्री भोला सिंह के नाम से 1/35 हिस्सा, सुखदीप कौर पुत्री बोगा सिंह के नाम से दर्ज 1/21 हिस्सा, संदीप कौर पुत्री भोला सिंह के नाम से दर्ज 1/35 हिस्सा कुल 2.710 हैक्टेयर भूमि का वादीगण सुखमहेन्द्र सिंह व गुरतेज सिंह पि0 श्री गुरचरण सिंह को बहिस्सा कराबर खातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया

सहायक कलक्टर एवं
पीठासीन अधिकारी
(फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर

है कि उक्त भूमि के राजस्व अभिलेख में उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। उक्त भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी तथा उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व में अंकन किया जाकर अलग-अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा बाराही/बाराही/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी। जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। अतः डिक्री जारी की जाती है। रूप्येशून्य....वास्त....शून्य....खर्चा इस प्रकरण पर व्यय मय ब्याज...शून्य....दर रूप्ये....शून्य...आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें। मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 12 मार्च, 2025 को जारी की गई।

XW

स्वाति गुप्ता

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
कार्यालय कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वाद पत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदन पत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
कील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

XW

स्वाति गुप्ता

(आर. ए. एस.)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
कार्यालय कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर